न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 8/2021 (उदयपुर आर्डर)

1. फतहलाल पिता अमरचन्द जी जैन, निवासी सुन्दरवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पिता देवा जी गाडरी, निवासी सुन्दरवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भारद राजवं ी पत्नी विनोद कुमार जी राजवं ी, निवासी विनायक नगर, बोहरा गणे ा रोड़, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राज0
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), गिर्वा
दिनांक 21.01.2021 प्र.सं. 8/2020

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री पन्ना लाल मारू अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

–––::–––

निर्णय दिनांक 26–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 नारायण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के न्यायालय में एक वाद विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का मौजा सुन्दरवास में आराजी नंबर 146, 147, 148, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 205, 206 कुल किता 14 रकबा 0.9650 हैक्टर भूमि बाबत् प्रस्तुत कर रखा है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 4/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं मूलचन्द [illegible]ामीलाल जैन का 2/9 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:24:22 IST
Reason: SelfAttested

होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त मूलवाद प्रकरण में वादी नारायण द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है। विवादित भूमि का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है, जिससे वादी द्वारा उक्त वाद विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में उक्त वाद के विचारण रहते वादी द्वारा उपरोक्त भूमि में से आराजी नंबर 146, 147, 148 कुल किता 3 रकबा 0.3500 हैक्टर भूमि में से अपने 1/3 हिस्से का अर्थात 1166.66 एयर भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 2 को कर दिया गया है, जिसका दौराने वाद विक्रय करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। विपक्षी संख्या 2 अजनवी क्रेता होकर उक्त विक्रय पत्र की आड़ में आराजी नंबर 146 में अपनी इच्छानुसार स्थान पर जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है एवं उसे अस्थायी निशेधाज्ञा से रोका जाना आव यक है। अतः प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि एक सहखातेदार को अपने हिस्से को विक्रय करने का अधिकार है, वह अपनी आव यकताओं के लिए अपने हिस्से का विक्रय कर सकता है तथा बंटवारा होने पर जिसका जितना हिस्सा होगा उस अनुपात में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 21–01–2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मामले को समझा ही नहीं है, न

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:24:22 IST
Reason: SelfAttested

ही रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है एवं दौराने दावा बिना विभाजन हुए वि ाश्ट भाग का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में करकिया गया है, जबकि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। विपक्षी संख्या 2 अजनवी क्रेता है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी अजनवी क्रेता बिना विभाजन के सहखातेदारी भूमि में प्रवे ा नहीं कर सकता है, न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को ताक में रखते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेकार्ड पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट एक ओर तो विवादित भूमि का विभाजन नहीं होने देना चाहता है, जबकि दूसरी ओर रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा चाहता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को क्लीन हैण्ड ने आना नहीं मानता हुए उनका अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–01–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 26–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:24:22 IST
Reason: SelfAttested